

FORM NO III

फर्द अहकाम●

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• सूरजमल पुत्र भैरु उम्र 75 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राज.।

-प्रार्थी

बनाम

• मेहराम पुत्र चन्दाराम जाति गुर्जर निवासी महावीर कालोनी सांवतसर तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान अन्य।

-अप्रार्थीगण।


किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. व 151 सी.पी.सी.

दर्ज क्रमांक 82 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 18.....


वकील प्रार्थी :- कुश कुमार

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
19.07.2027	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री कुश कुमार ने अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. एवं 151 सी.पी.सी. के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी अराई </p>	
26/7/2024	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14/06/2024 को हुये अस्तित्व विनियम को अज्ञात किये जाने के कृम में पेश किया है। हमारे द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल प्रार्थना पत्र 11/3/2022 उनवान मेहराम बनाम सूरजमल में अपार्थी नं 01 को दिनांक 19/7/2023 को वागिल हो चुकी थी किन्तु वह अनुपस्थित रहने के कृम में दिनांक 02/02/2024 को अपार्थी नं 01 के विरुद्ध एकपक्षीय आप्रवाही करते हुये नियमानुसार दिनांक 14/06/2024 को अस्तित्व विनियम दिनांक 11/3/2022 उनवान मेहराम बनाम सूरजमल का अस्तित्व विनियम, 26/7/2024 न्यायालय द्वारा किया गया है...</p>	

C.No. 82/2014 सूरजमल / मेहराद

अतः पुनः इसी न्यायालय द्वारा उक्त आदेश
क्रमांक 14/06/2014 को अपास्त किया जाना
न्यायपूर्ण नहीं है अतः वकील जगदीश शर्मा के
साथ आदेश 09 विधम 13 (नपठित धारा 15
O.C व 15 O.C को इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है तथा वकील जगदीश शर्मा को विशेष
दिए जाते हैं कि वे सत्र न्यायालय में चाराजोई
के पत्रावली पैनल सुपुत्र होकर नमूने कगरी


उपस्थित अधिकारी
नारायण (अधिवक्ता)

विभागीय अधिकारी
द्वारा

सूरजमल / मेहराद
क्रमांक 82/2014
विभागीय अधिकारी
द्वारा